न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारीः श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस
पंचायत निगरानी :: 83/2017 ::

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगण :—

बाबूलाल पुत्र रूपारामजी जाति घॉची, निवासी निम्बोल, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

1. ग्राम पंचायत निम्बोल, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत निम्बोल, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)
2. मीठू पुत्र श्री पुखारामजी
3. सुका पुत्र पुखारामजी
4. हीरा पुत्र पुखारामजी जातिगण भाम्बी, निवासीगण निम्बोल, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता उभयपक्ष अनुपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 04.02.2020

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत निम्बोल के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 25.12.1998 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 42 के विरूद्ध पेश की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत निम्बोल का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है।

पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत निम्बोल से प्राप्तकर पत्रावली में प्रार्थी द्वारा निगरानी के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार मिसल पंचायत में नहीं मिली तथा दूसरी बार इस न्यायालय का मूल पत्र ही इस रिपोर्ट के साथ लौटा दिया कि ग्राम पंचायत कार्यालय में रेकर्ड उपलब्ध नहीं है अर्थात मिसल नहीं है तथा मिसल नहीं होने से इससे पट्टे के संबंध में विधि सम्मत प्रकिया अपनाकर ग्राम पंचायत निम्बोल द्वारा कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया है, यह विवेचन नहीं किया जा सकता है, न ही यह माना जा सकता है कि अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु विधिवत प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया था। मिसल कायम कर विधि सम्मत पंचायत नियमों की पालना करते हुए पट्टा जारी नहीं किया गया है, न तो पट्टा बनाने बाबत मिसल कायम की गई, जिससे यह भी स्पष्ट है कि जैर निगरानी आराजी का तीन वार्ड पंचो की कमेटी गठित कर उनके द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया, न ही आपति आक्षेप जारी किया गया है, न ही दो स्वतत्रं गवाहो के बयान लिए गए है। ऐसी स्थिति में पंचायत नियमों में विहित प्रकिया की ग्राम पंचायत निम्बोल द्वारा पालना नहीं किया जाना स्पष्ट है, जिसके मध्यनजर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा निगरानी के साथ प्रस्तुत पट्टे की प्रमाणित प्रति में ग्राम सेवक, सरपंच एवं पट्टा ग्रहिता एवं किसी भी साक्ष्य के हस्ताक्षर भी नहीं है। जिससे जैर निगरानी पट्टा विधि सम्मत नहीं होना स्पष्ट है। प्रस्ताव दिनांक 25.12.1998 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें मिसल नम्बर 1 से 50 का ही उल्लेख है एवं पट्टे की प्रमाणित प्रति पर भी मिसल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे यह सिद्ध नहीं हो सकता है कि प्रस्ताव इसी पट्टे से संबंधित है तथा प्रस्ताव में यह अंकित है कि सरपंच श्रीमती कंवरीदेवी की अध्यक्षता में बैठक की

जिला कलेक्टर, पाली

कार्यवाही की गई एवं प्रस्ताव लिए गए, लेकिन प्रस्ताव में सरपंच कंवरीदेवी के हस्ताक्षरों का अभाव है। इससे यह स्पष्ट है कि सरपंच की अनुपस्थिति में प्रस्ताव उनकी मात्र उपस्थिति लिखकर लिया गया है एवं प्रस्ताव में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत निम्बोल तथा सरपंच के हस्ताक्षर नहीं होकर मात्र उपसरपंच एवं वार्डपंचो के ही हस्ताक्षर है जो विधि सम्मत नहीं होने से प्रस्ताव एवं उसकी पालना में जारी पट्टा यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी प्रस्ताव एवं पट्टा विधि सम्मत नहीं होने से यथावत नहीं रखा जा सकता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत निम्बोल के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 25.12.1998 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 42 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत निम्बोल को रेकर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली